संसद द्वारा पारित किए गए संकल्प का कार्यान्वयन

2580. **श्री सोमपाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति ने अपने 20वें प्रतिवेदन में संसद द्वारा 18 जनवरी, 1968 को पारित सर्वसम्मत संकल्प और 13 दिसम्बर, 1992 को लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश का पालन एवं कार्यान्वयन अभी तक न किए जाने पर सरकार की तीखी आलोचना की हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है और सरकार इन संकल्पों और निर्देशों के अनुपालन के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है और कब तक ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) तथा (ख) समिति ने सरकार को अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के माध्यम के बारे में संसद द्वारा पारित दिनांक 18.1.68 के संकल्प पर शीघ्र निर्णय देने के लिए कहा है।

इस संकल्प में शामिल मुद्दों की जांच, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा0 सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित, एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। इसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं। इस मामले की संवेदनशीलता तथा विभिन्न मंचों पर इस विषय पर व्यक्त विचारों के कारण सरकार आम सहमति पर पहुंचने का प्रयास कर रही है।

Programme on Manila Vigyan

2581. SHRI SLJRINDER KUMAR SINGLA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of the Science and Technology Programmes on Mahila Vigyan;

(b) what is the focus of this programme; and

(c) what steps are being taken to popularise these programmes?

THE MINISTER OF STATE IN PRIME MINISTER'S OFFICE & MINISTER OF STATE IN DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) Mahila Vigyan is a Programme centered around an income generating activity involving women. It aims at imparting scientific knowledge about the selected economic activity. The focus is also on providing scientific understanding about health, reproduction, nutrition, environment and related issues as also equipping women with managerial, financial and legal rights.

(c) Voluntary organizations with a strong science and technology base are being involved in popularizing this programme.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

2582. **श्री रामदेव भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है,

(ख) इस समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का राज्य-वार व्यौरा क्या है तथा उच्चतम न्यायालय में इस समय कितने न्यायाधीश हैं, उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या और अनुपात क्या है, और

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) इस समय, भारत के उच्चतम न्यायालय में, 26 न्यायाधीशों की अनुमोदित पद संख्या में से 23 न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत भारत का मुख्य न्यायमूर्ति

भी हैं, पदासीन हैं । तारीख 1-12-1995 को विभिन्न उच्च न्यायालयों की अनुमोदित पदसंख्या और वास्तविक पदसंख्या को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये) ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के निबंधनों के अनुसार की जाती है, जिनमें किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है । तथापि, सरकार ने मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को समय-समय पर पत्र भेजकर उनसे बार में से ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने का अनुरोध किया है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यक वर्गो और महिलाओं जैसे अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व वाले प्रवर्गो के हैं और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं ।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के संबंध में, राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2582, **जिसका उत्तर** 21 **दिसंबर**,1995 **को दिया जाना है, के उत्तर में विवरण ।**

(1.12.95 **को यथाविद्यमान**)

क्र0 सं0	**उच्च न्यायालय**	**अनुमोदित पदसंख्या**			**वास्तविक पदसंख्या**		
1.	इलाहाबाद	70	7	77	66	1	67
2.	आंध्र प्रदेश	30	6	36	30	6	36
3.	मुंबई	42	18	60	37	-	37
4.	कलकत्ता	45	5	50	41	1	42
5.	दिल्ली	25	8	33	24	4	28
6.	गुवाहाटी	17	2	19	14	-	14
7.	गुजरात	28	8	36	21	6	27
8.	हिमाचल प्रदेश	5	3	8	5	2	2
9.	जम्मू-कश्मीर	8	3	11	6	2	8
10.	कर्नाटक	32	8	40	25	-	25
11.	केरल	24	5	29	15	3	18
12.	मध्य प्रदेश	26	9	35	20	4	24
13.	मद्रास	32	10	42	20	-	20
14.	उड़ीसा	13	3	16	7	1	8
15.	पटना	39	-	39	32	-	32
16.	पंजाब और हरियाणा	30	10	40	28	1	29
17.	राजस्थान	27	5	32	24	-	24
18.	सिक्किम	3	-	3	2	-	2
	योग:	496	110	606	417	31	448